(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2766–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–7–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 48/अ–6/2015–16.

....

1–विकास मालवीय आत्मज श्री फूलचंद मालवीय
2–अभिनव मालवीय आत्मज श्री कैलाश मालवीय
3–अभिषेक मालवीय आत्मज श्री कैलाश मालवीय
निवासीगण ग्राम रायपुर तह. व जिला होशंगाबाद

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1–नीता पुत्री विजयशंकर
निवासी ग्राम रायपुर तह. व जिला होशंगाबाद
2–ज्योति पुत्री श्री विजय शंकर
निवासी पटैल गढ़ी ग्राम पंचायत रायपुर
तहसील व जिला होशंगाबाद
3–फूलचन्द मालवीय आत्मज स्व.श्री बटटूलाल मालवीय
निवासी ग्राम रायपुर तह. व जिला होशंगाबाद

.... अनावेदकगण

....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री प्रमोद श्रीवास्तव व श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1 व 2

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 29/11/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 23–11–2011 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 26–4–2016 को लगभग साढे चार वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 48/अ–6/15–16 दर्ज कर दिनांक 15–7–16 को अंतरिम आदेश पारित किया जाकर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय में जितने पक्षकार थे उन्हें अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिये पक्षकार के कुसंयोजन के कारण अपील इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है ।

(2) अनावेदकगण को तहसीलदार के आदेश की जानकारी प्रारंभ से रही है, परन्तु उनके मन में लालच आने के कारण 5 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है ।

(3) तहसीलदार के आदेश के पालन में राजस्व अभिलेखों में संशोधन किया गया है, जिसकी जानकारी प्रारंभ से ही अनावेदकगण को रहीं है और उनके द्वारा अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी, जो कि निरस्त किये जाने योग्य थी ।

(4) अनावेदकगण द्वारा लगभग 5 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है और आवेदन में विलम्ब का प्रत्येक दिन का कारण नहीं दर्शाया गया है ।

(5) अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के संबंध में कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि उन्हें तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारंभ से नहीं थी ।

(6) तहसील न्यायालय में अनावेदकगण सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें नामान्तरण में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और कालान्तर में अनुपस्थिति का आधार दर्शाते हुये अपील एवं अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 2002 आरएन 254, 2000(4) एमपीएचटी 11 (एनओसी), 1978(1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 373, 1992 एम.पी.एलजे. 689, 2001(3) एम.पी.एच.टी. 12(छत्तीसगढ), 2006(2) एम.पी.एल.जे. 45, 2001(1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 55 एवं 1998 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. नोट 190 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार न्यायालय द्वारा न तो अनावेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, अतः जानकारी के दिनांक से उनके द्वारा समय सीमा में अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे समय सीमा में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः न्यायिक एवं वैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक क. 1 व 2 महिलायें हैं तथा अपने पति के साथ ससुराल में निवास करती है और आवेदकगण द्वारा जानबूझकर तहसील न्यायालय में अनावेदकगण के सही पते प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में कोई त्रुटि नही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर नहीं कर गुणदोष पर किया जाना चाहिये, इसलिये भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर विस्तृत विवेचना करते हुए सकारण आदेश पारित किया गया है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान ऐसा कोई आधार अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश् में हस्तक्षेप किया जाये । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा फूलचन्द को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, क्योंकि तहसील न्यायालय में वह पक्षकार नहीं था । उक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी औचित्यहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–7–2016 स्थिर रखा जाता है । अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण का गुणदोष पर अन्तिम निराकरण दो माह के अन्दर करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर